Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 31-38

जम्मू-कश्मीर : अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राज्य के अस्थायी विशेष उपबन्ध की समाप्ति एवं उसके बाद की संवैधानिक स्थिति

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. गणेशा राम

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. (स्वायत्त) महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिए पिछले 70 वर्षो से मांग उठ रही थी लेकिन इस कार्य को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए आखिरकार मूर्त रूप दिया और 5 अगस्त 2019 को संसद की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 के खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को निरस्त कर दिया, केवल खंड (1) को छोड़कर। इस प्रकार 5 अगस्त, 2019 का दिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज हो गया। इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के दो संकल्प पेश किये जिसके साथ में एक अन्य प्रस्ताव ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019'' भी पेश किया। इसके बाद 6 अगस्त, 2019 को यही दोनों संकल्प और प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से ये दोनों संकल्प और प्रस्ताव पारित हो गए। इसके बाद 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही विधेयक ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019'' के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य अब ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' तथा ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' के रूप में विभाजित हो गया। 31 अक्टूबर, 2019 से ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019'' लागू होने के बाद संपूर्ण देश में एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एकल नागरिकता जैसे सभी प्रावधान देश के अन्य संघ राज्य क्षेत्र के समान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गए हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति भारत के पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के समान हो गई है।

संकेताक्षर : *जम्मू-कश्मीर, अनुच्छेद 370, लद्दाख, राष्ट्रपति आदेश, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न भाग हैं[1] जिसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के अलावा लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) तथा अक्साई चीन क्षेत्र भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के भाग-21 के अनुच्छेद 370 में जम्मू एवं कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जिसके अनुसार भारतीय संविधान के सभी उपबन्ध इस राज्य पर लागू नहीं होंगे। यह भारतीय संघ में एक मात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान 'जम्मू और कश्मीर का संविधान' था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबन्ध का प्रावधान किया गया था। ये प्रावधान स्थाई नहीं थे क्योंकि इसके बारे में भारतीय संविधान का ''भाग-21 : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध''[2] भी और अधिक स्पष्ट करता है। अर्थात् ये अस्थायी उपबन्ध राज्य में कुछ समय के लिए व्यवस्था सामान्य होने तक के लिए किया गया था।

जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय

ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। यह एक देशी रियासत होने के कारण भारत शासन अधिनियम, 1947 के अनुसार यह स्वतंत्र रह सकती थी या फिर भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी। प्रारंभ में इसके शासक महाराजा हरिसिंह ने फैसला लिया कि वे

भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होंगे और स्वतंत्र रहेंगे। उस समय के भारत के प्रमुख सचिव वी. पी. मेनन ने महाराजा हरिसिंह से भारत में शामिल होने के लिए आग्रह किया था लेकिन वे तैयार नहीं हुए। जब 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान के कबायली आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी तथा कश्मीर को भारत में शामिल करने पर रजामंदी जताई। वैसे ही भारत ने जम्मू एवं कश्मीर रियासत को भारत में विलय के लिए सहमति-पत्र पर महाराजा हरिसिंह के हस्ताक्षर करने के समझौते के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर से पाक समर्थित आजाद कश्मीर सेना को भारत से खदेड़ दिया। समझौते के अनुसार 26 अक्टूबर, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महाराजा हरिसिंह द्वारा ''जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय-पत्र'' पर हस्ताक्षर किए गए।[3] विलय-पत्र को ही ''**इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन**'' कहा जाता है। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किये और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर, 1947 को इसे स्वीकार कर लिया।[4]

अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि शुरुआत से ही विवादित रही है। संविधान सभा में इस अनुच्छेद को लेकर मतभेद शुरू से ही था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल तथा अन्य कई संविधान सभा के सदस्य, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के इस प्रावधान से सहमत नहीं थे। इस अनुच्छेद का मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अंयगर द्वारा तैयार करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जबकि संपूर्ण संविधान का प्रारूप डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित मसौदा समिति के द्वारा तैयार किया गया।[5]

जम्मू एवं कश्मीर रियासत के विलय-पत्र के समझौते के इस आश्वासन के परिणाम में, भारत के संविधान के भाग-21 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध केवल अस्थायी है स्थाई नहीं। 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना जो कि एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था। जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य को छूट दी गई थी, ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसका मूल मसौदा पेश किया जो संशोधन व विचार-विमर्श के बाद 27 मई, 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306ए (अब अनुच्छेद 370) पारित हुआ। यह 17 नवंबर,1952 से लागू हुआ। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है और राज्य को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता है। 17 नवंबर, 1956 में जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी, 1957 को राज्य का विशेष संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 दरअसल केंद्र से जम्मू-कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत राज्य ने केवल तीन विषयों (रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार) पर ही अपना अधिकार छोड़ा। उस समय भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इस 'राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा' इस राज्य के आंतरिक संविधान तथा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति तथा प्रसार को निर्धारित करेंगे और राज्य विधानसभा के फैसले तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था कर सकता है।[6]

अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबन्ध[7]

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी -

(क) अनुच्छेद 238 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे,

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति-

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनकी राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमिनियम में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट है जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और

(ii) उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होंगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश[8] द्वारा विनिर्दिष्ट करें उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (i) में निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन-पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा अन्यथा नहीं;

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषय से संबंधित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (ii) में या उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति, उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चिय के लिए रखा जाएगा जो वह उस पर करे।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे।

अनुच्छेद-370 के अन्तर्गत विशेषाधिकार

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा होने के कारण उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनकी वजह से हमेशा विवाद बना रहता था, वे निम्नलिखित है—[9]

- जम्मू-कश्मीर राज्य का जिक्र आते ही अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए की बात सबसे पहले सामने आती थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी। वहीं अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधानमंडल को 'स्थायी निवासी' को परिभाषित करने और राज्य के 'नागरिकों को विशेषाधिकार' प्रदान करने का अधिकार देता था। यह अदृश्य धारा जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा 14 मई, 1954 को एक आदेश[10] से अनुच्छेद 370 के खंड (1) के तहत जोड़ी गयी थी जो सबसे बड़े विवाद का जड़ थी क्योंकि अनुच्छेद 35ए का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अन्य अनुच्छेदों की तरह कहीं पर भी नहीं था।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य में 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संपूर्ण देश में लागू होने वाला वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था।
- 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था जिसके कारण भारत के अन्य राज्यों के लोग वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते थे।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे।
- विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और अलग राष्ट्रध्वज था।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्राप्त होने के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानवाधिकार और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं होते थे।
- इस प्रावधान की वजह से जम्मू-कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर लेती तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी जबकि वहाँ की महिला यदि किसी पाकिस्तान के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उस पुरुष को भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। जो सबसे मुख्य विवाद के कारणों में से एक था।
- जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- विशेष प्रावधान के कारण जम्मू-कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों का कोई नागरिक वहां पर संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकारी नौकरियों में आवदेन नहीं कर सकता था, वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए दाखिला नहीं ले सकता था। इसके अलावा राज्य की सरकारी योजनाओं का वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त कर सकता था।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण 1965 तक जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्रमश: 'सदर-ए-रियासत- और 'प्रधानमंत्री' कहलाता था।
- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त होने के कारण जम्मू-कश्मीर के कानून के अनुसार वहां के स्थाई नागरिकों के अलावा अन्य कई वर्षो से निवास कर रहे नागरिकों को आरक्षण तथा अन्य कई सुविधाओं प्राप्त नहीं होती थी।
- इस विशेष प्रावधान की वजह से भारत के अन्य राज्यों में लागू होने वाले अनेक कानून जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू

नहीं होते थे जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि एक देश एक विधान के उलट हर जगह अपवाद के रूप में जम्मू-कश्मीर को पढ़ा जाता था।

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त इन विशेषाधिकारों के कारण भारत के अन्य राज्यों के व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता था जिससे ऐसा लगता था कि जम्मू-कश्मीर राज्य, भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी अलग देश की भांति प्रतीत होता था हालांकि समय के साथ काफी प्रावधानों में वहां की विधानसभा द्वारा संशोधन किए गए लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। इसी कारण अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने की मांग देश में संविधान निर्माण के समय से ही उठ रही थी।

अनुच्छेद 370 से संबंधित कुछ मुख्य बिन्दु—इस अनुच्छेद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है-

1. अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का अंग है।
2. यह अनुच्छेद संविधान के भाग-21 में समाविष्ट है जिसका शीर्षक है- ''अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध''।[11]
3. अनुच्छेद 370 के शीर्षक के शब्द हैं- ''जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध''।[12]
4. अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष प्रावधान है उनमें समय-समय पर परिवर्तन किया गया है जिनका आरम्भ 1954 से हुआ जो अनवरत जारी रहे। सन् 1954 का महत्त्व इसलिए भी है कि 1953 में उस समय के कश्मीर के 'वजीर-ए-आजम' शेख अब्दुल्ला, जो पं. नेहरू के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया था। ये सारे संशोधन जम्मू-कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं। इनमें से कुछ मुख्य संशोधित किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं-
    - 1954 में चुंगी, केंद्रीय आबकारी, नागरिक उड्डयन और डाक, तार विभागों के कानून और नियम जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए।
    - 1958 से केन्द्रीय सेवा के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियाँ इस राज्य में होने लगीं। इसी के साथ सीएजी के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए।
    - 1959 में जनगणना का कानून जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया।
    - 1960 में उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया तथा उच्चतम न्यायालय को इस हेतु अधिकृत किया गया।
    - 1964 में संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 इस राज्य पर लागू किये गये। इन अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गड़बड़ा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अधिकार प्राप्त हुए।
    - 1965 से श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून राज्य पर लागू हुए।
    - 1966 में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधि लोकसभा में भेजने का अधिकार दिया गया।
    - 1966 में ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए- 'प्रधानमन्त्री' के स्थान पर 'मुख्यमन्त्री' तथा 'सदर-ए-रियासत' के स्थान पर 'राज्यपाल' पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी। पहले 'सदर-ए-रियासत' का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब 'राज्यपाल' की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी।
    - 1968 में कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव सम्बन्धी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया।
    - 1971 में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया।
    - 1986 में संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए।

अनुच्छेद 370 का विरोध

इस अनुच्छेद का सर्वप्रथम विरोध इसके प्रारूप निर्माण के समय से ही संविधान सभा में तथा नेहरू की कांग्रेस के अंदर ही उठा था। संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। अंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला, नेहरू के पास पहुँचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था[13]

जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा

उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। वे जब इसके खिलाफ आन्दोलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर गए तो उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून, 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई।[14]

प्रकाशवीर शास्त्री ने अनुच्छेद 370 को हटाने का एक प्रस्ताव 11 सितंबर, 1964 को संसद में पेश किया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे पारित नहीं किया। हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शुरू से ही इसे हटाने की मांग करते आये हैं।[15]

अनुच्छेद 370 की समाप्ति

भारतीय संविधान के इतिहास में 5 अगस्त, 2019 का दिन एक स्वर्णिम दिन था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और संपूर्ण देश में ''एक विधान, एक संविधान, एकल नागरिकता और एक राष्ट्रीय ध्वज,'' के वर्षों से अधूरे सपने को साकार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1)(घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लोक अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 35ए को हटाने तथा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति आदेश जारी किया जो इस प्रकार है[16] -

1. (i) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है।

   (ii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे, ये निम्न प्रकार होंगे:-

   अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

   ''(4) संविधान, जहाँ तक यह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में लागू है, के प्रयोजन के लिए-

   (क) इस संविधान या इसके उपबन्धों के निर्देशों को, उक्त राज्य के सम्बन्ध में यथा लागू संविधान और उसके उपबन्धों का निर्देश माना जाएगा।

   (ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गयी है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा।

   (ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा; तथा

   (घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परन्तुक में ''खंड (2) में उल्लिखित राज्य की 'संविधान सभा' अभिव्यक्ति को 'राज्य की विधान सभा' पढ़ा जाएगा।''

अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के राष्ट्रपति आदेश के पश्चात 5 अगस्त, 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति से सम्बन्धित दो संकल्प पेश किए गए -

पहला संकल्प—संसद (जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के स्थान पर चूँकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण) भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(3) के तहत जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करती है- ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि 5 अगस्त, 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड निरस्त हो जाऐंगे केवल खंड (1) को छोड़कर। यह खंड (1) भी संशोधन के साथ लागू होगा।''; तथा

दूसरा संकल्प—''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019'' को संसद (चूँकि राष्ट्रपति की अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2018 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकेगी), की सिफारिश के लिए भेजता है।''

तत्पश्चात दोनों संकल्पों (एक-दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण एक साथ पुर: स्थापित) के संसद से दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के साथ ही अनुच्छेद 370 के खंड (1) (संशोधन के साथ लागू) को छोड़कर अन्य सभी खंड निरस्त हो गए हैं।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दो संकल्प के साथ, एक अन्य प्रस्ताव ''**जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019**'' संसद के

दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से क्रमश: 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा[17] तथा 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा[18] से पारित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यह विधेयक ''**जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019**'' के रूप में 9 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया।[19] भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019'' के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन करके जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में पुनर्गठन किया गया जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी एक विधानसभा होगी जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा।

जम्मू-कश्मीर : अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद की संवैधानिक स्थिति

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू हो गया।[20] अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35ए के विशेष प्रावधानों के खत्म होने के साथ ही ''**जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019**'' के लागू होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं[21]-

- इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख दोनों संघ-राज्य क्षेत्र में प्रशासक अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 'उप-राज्यपाल' होंगे।
- इस पनुर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद कारगिल और लेह जिले लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को देने के कारण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भाग नहीं होंगे।
- इस अधिनियम के लागू होने के दिन से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके प्रविष्टि में परिवर्तन करके दो नई प्रविष्टि शामिल की गई है-

  ''8. जम्मू कश्मीर : जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 4 में निर्दिष्ट भू-भाग''

  ''9. लद्दाख : जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 3 में निर्दिष्ट भू-भाग''
- संविधान की चौथी अनुसूची में परिवर्तन के पश्चात जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा एवं लोकसभा में सीटों की संख्या क्रमश: 4 व 5 एवं एक लोकसभा सीट लद्दाख के लिए आवंटित की गई है।
- इस अधिनियम के लागू होने के नियत दिन से संविधान के अनुच्छेद 239क के सभी उपबन्ध जो कि ''पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र'' पर लागू है ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' पर भी उसी प्रकार से लागू होंगे।
- जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या 107 होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' के भू-भाग के अधिग्रहण नहीं होने तक उस क्षेत्र को आवंटित 24 सीटें रिक्त मानी जाएगी और विधानसभा की कुल सदस्यता की गणना में नहीं मानी जाएगी।
- जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रिपरिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे।
- जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल की राय में विधानसभा में यदि महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
- इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में नए परिसीमन के बाद जब भी विधानसभा का गठन होगा तो नई विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- इस पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के पश्चात ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' में 'विधान परिषद' को समाप्त कर दिया गया है।
- इस अधिनियम के लागू होने के नियत दिन से 'जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी प्रावधान वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र (जिनमें विधानसभा गठित है) की तरह ही लागू होंगे।
- जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र दोनों के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा।
- जम्मू-कश्मीर संघ राज्य के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं।
- इस अधिनियम के लागू के नियत दिन से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तथा

अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल वैसे ही लागू होंगे, जैसे भारत के किसी अन्य भू-भाग पर लागू होंगे।

- इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, सीएजी के कानून, आरक्षण के प्रावधान जैसे अनेक संसद द्वारा निर्मित कानून वैसे ही लागू होंगे, जैसे भारत के किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र में लागू होंगे।
- इस पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित संपूर्ण भारत में समान रूप से एक संविधान, एक विधान, एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्रगान और एकल नागरिकता लागू हो गई है।
- अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में भारत के अन्य राज्यों के लोग वहाँ पर निवास कर सकेंगे, संपत्ति खरीद रखेंगे, वहाँ पढ़ाई कर सकेंगे, वहाँ पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, वहाँ की महिलाओं को किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी करने पर भारतीय नागरिकता बनी रहेगी।
- इस प्रकार इस पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में वे सभी नियम, विनियम, कानून और अन्य उपबन्ध जो समय-समय पर संसद द्वारा अधिनियमित होंगे उसी प्रकार से लागू होंगे, जैसे भारत के अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे।

निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिए पिछले 70 वर्षो से मांग की जा रही थी लेकिन इस कार्य को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए आखिरकार मूर्त रूप दिया और 5 अगस्त 2019 को संसद की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 के खंड (3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति ओदश के द्वारा अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को निरस्त कर दिया, केवल खंड (1) को छोड़कर। इस प्रकार 5 अगस्त, 2019 का दिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज हो गया। इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के दो संकल्प पेश किए जिसके साथ में एक अन्य प्रस्ताव ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019'' भी पेश किया। इसके बाद 6 अगस्त, 2019 को यही दोनों संकल्प और प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से ये दोनों संकल्प और प्रस्ताव पारित हो गए। इसके बाद 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही विधेयक ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019'' के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य अब ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' तथा ''लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' के रूप में विभाजित हो गया। 31 अक्टूबर, 2019 से ''जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019'' लागू होने के बाद संपूर्ण देश में एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एकल नागरिकता जैसे सभी प्रावधान देश के अन्य संघ राज्य क्षेत्र के समान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गए है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति भारत के पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के समान हो गई है। अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पाक प्रायोजित आतंकवाद और चीन की घुसपैठ करने की नीति को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इन संघ राज्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे सभी परिस्थितियां सामान्य होती जा रही है इन क्षेत्रों में विकास तेज गति से होने लगा है।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान : अनुच्छेद 1(ख), पृ.सं. 2
2. भारत का संविधान : भाग-21, पृ.सं. 249
3. बसु, डी.डी. : कंटेंपरेरी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेंटिस-हॉल, खंड-5, पांचवाँ संस्करण, 1970, पृ.सं. 512
4. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन : 27 अक्टूबर, 1947
5. तिलकराज, आलेख : बाबासाहेब ने कहा था - अनुच्छेद 370 भारत के साथ विश्वासघात, दैनिक जागरण : 6 अगस्त, 2019
6. लक्ष्मीकांत, एम. : भारत की राजव्यवस्था, मेकग्रा हाई एजुकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2015 पृ.सं. 32.1
7. भारत का संविधान : अनुच्छेद 370 पृ.सं. 250-251
8. संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 : 14 मई, 1954 (स.आ. 48), परिशिष्ट-1
9. दैनिक भास्कर : 6 अगस्त, 2019
10. संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 : 14 मई, 1954 (स.आ. 48), परिशिष्ट-1
11. भारत का संविधान : भाग-21, पृ.सं. 249
12. भारत का संविधान : अनुच्छेद 370, पृ.सं. 250
13. तिलक राज, आलेख : बाबासाहेब ने कहा था- अनुच्छेद 370 भारत के साथ विश्वासघात, दैनिक जागरण : 6 अगस्त, 2019

14. अमर उजाला : 10 अगस्त, 2019
15. प्रशांत बाजपेयी, आलेख : धारा 370 हिंदू विरोध का कांग्रेसी हथियार थी, पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका : 14 अगस्त 2019
16. संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होना) आदेश, 2019, 5 अगस्त, 2019, (सं.आ. 272)
17. राजस्थान पत्रिका : 6 अगस्त, 2019
18. पजाब केसरी : 7 अगस्त, 2019
19. भारत का राजपत्र : जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, अधिसूचना, 9 अगस्त, 2019
20. भारत का राजपत्र : गृह मंत्रालय (जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग) अधिसूचना, 31 अक्टूबर, 2019
21. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, पृ.सं. 1-27